संख्या-170/2021/1007/23-9-2021-10नाबार्ड(ओडीआर)/2017

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 25 अक्टूबर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-121/37पी0जे0(आ0)/आर.एस.डी.-5/21, दिनांक 05.10.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 05 चालू कार्यो हेतु सूची के स्तम्भ-10 के अनुसार रू0 14,17,30,000/- (रूपये चौदह करोड़ सत्रह लाख तीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत / वास्तविक लागत	03/2021 तक आवंटन / व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व में आवंटन	वास्तविक लागत पर अद्यतन अवशेष	वर्ष 2021-22 में अब अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हाथरस	हाथरस इगलास मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	36/2020/95/23-9-2020-01नाबार्डओ)0डी0 आर0)/2019, दि0 24.02.2020	6.85	1334.81 / 1334.81	479.06	213.94	641.81	333.70
2	अयोध्या	मवई चौराहे से उमापुर, बाबा बाजार होते हुए मॉ कामाख्या भवानी मन्दिर धाम मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	45/2021/118/23-9-2021-12नाबार्ड /(ओडीआर)2020, दि0 25.02.2021	9.40	1553.16 / 1553.16	97.32	0.00	1455.84	388.29

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत / वास्तविक लागत	03/2021 तक आवंटन / व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व में आवंटन	वास्तविक लागत पर अद्यतन अवशेष	वर्ष 2021-22 में अब अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	उरई	उरई कोंच मार्ग अ)0जि0 मा0) के कि0मी0 1 से 28 में चौड़ीकरण का कार्य	75/2020/426/ 23-9-2020-11नाबार्ड /(ओडीआर)2020, दि0 27.03.20	27.03	1941.40 / 1703.41	724.08	200.00	779.33	485.35
4	महराज गंज	पुरैना परतावल पिपराईच का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	36/2020/95/23-9-2020-01नाबार्डओ)0डी0आर0)/2019, दि0 24.02.2020	10.40	2396.88 / 2396.88	1978.30	0.00	418.58	178.89
5	रामपुर	एन0एच0 87 के कि0मी0 41 से रूद्रपुर बिलासपुर से डिबडिबा मार्ग में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण	75/2020/426/ 23-9-2020-11नाबार्ड /(ओडीआर)2020, दि0 27.03.20	4.45	732.36 / 730.07	524.05	104.00	102.02	31.07
			कुल योग-	**58.13**	**7958.61 / 7718.33**	**3802.81**	**517.94**	**3397.58**	**1417.30**

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजनाओं पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- संलग्न तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

क्रमशः...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस संबध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 83-नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था, 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेश कुमार)
विशेष सचिव

<u>संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) / वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।